न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 210 / 2018—19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

मुकेश भेंगरा — विक्रेता

सुनील होरो वो सुसारी चम्पी — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05.10.18	आदेश (नीचे देखें)	

05.10.18

आदेश

आवेदक मुकेश भेंगरा पिता स्व0 मनसिद्ध भेंगरा ग्राम—बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने 1. सुनील होरो पिता रोयन होरो ग्राम बिचना थाना—मुरहू वो 2. सुसारी चम्पी पति नमजन चम्पी ग्राम—सुदू कारंज टोली, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	07	615	0.47

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र / खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1515513065 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 741 दिनांक 04.10.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम खेदुवा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार प्रभु दास वो कल्याण वगैरह के नाम भूमि का रकवा 8.06 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 3.95 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017—18 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 6184.00(छः हजार एक सौ चौरासी रूपये मात्र)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.48 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मुकेश भेंगरा पिता स्व0 मनसिद्ध भेंगरा को 1. सुनील होरो पिता रोयन होरो वो 2. सुसारी चम्पी पति नमजन चम्पी के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 07 खेसरा संख्या 615 का रकबा 0.47 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6184.00(छः हजार एक सौ चौरासी रूपये मात्र)प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

05/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

05/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।